उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

21 मार्च, 2023 ई0

सं0 F-9(28)(i)/RG/UERC/2023/1527– विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 सपठित धारा 86(1)(e) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् एतद् द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, उविनिआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन विनियम, 2018 (मुख्य विनियम) और उस में किये गये पश्चात्वर्ती संशोधन में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारम्भ और निर्वचन :

(1) यह विनियम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों तथा गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन केन्द्रों से विद्युत आपूर्ति के लिए टैरिफ व अन्य शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023 कहे जाएँगे।

(2) यह विनियम अधिसूचना की तिथि से लागू माने जाएँगे, तथा यदि ये विनियम आयोग द्वारा पूर्व में पुनरीक्षित न किए जाएँ अथवा इनकी अवधि बढ़ाई न जाए, तो ये विनियम लागू होने की तिथि से पाँच वर्ष के लिए प्रभावी रहेंगे।

(यह विनियम सरकारी गजट में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है, किसी भी तरह के निर्वचन अथवा विवाद (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम एवं मान्य होगा।)

2. मुख्य विनियम के विनियम 9 का संशोधनः

संशोधित विनियम निम्नानुसार पढ़ा जायेगाः

"9. 'गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित विद्युत' की वितरण लाइसेन्सी द्वारा क्रय की जाने वाली मात्र"

(1) *एक्ट, राष्ट्रीय विद्युत नीति ऊर्जा के नवीकरणीय तथा गैर–परम्परागत स्रोतों के विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई टैरिफ नीति में किए गए प्रावधानों के अनुसार राज्य में सभी वर्तमान व भविष्य के वितरण लाइसेन्सधारकों, सीमित उपयोगकर्ताओं तथा निर्बाध पहुँच वाले उपभोक्ताओं (जिन्हें आगे 'ऑब्लीगेटेड एण्टिटी' कहा जाएगा) का दायित्व होगा कि वे विनियम 4 के अन्तर्गत परिभाषित पात्र नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित ऊर्जा में से अपनी कुल विद्युत आवश्यकता का न्यूनतम प्रतिशत (जैसा नीचे की तालिका में दिया गया है) अपने उपयोग के लिए रखें। इसे 'ऑब्लीगेटेड एण्टिटीज' का नवीकरणीय क्रय दायित्व (आर.पी.ओ.) कहा जाएगा।*

वर्ष	विण्ड आरपीओ	हाइड्रो विक्रय दायित्व (एचपीओ)	अन्य आरपीओ
2022-23	0.81%	0.35%	23.44%
2023-24	1.60%	0.66%	24.81%
2024-25	2.46%	1.08%	26.37%
2025-26	3.36%	1.48%	28.17%
2026-27	4.29%	1.80%	29.86%
2027-28	5.23%	2.15%	31.43%
2028-29	6.16%	2.51%	32.69%
2029-30	6.94%	2.82%	33.57%

(a) *विण्ड आरपीओं (Wind RPO) को केवल 31 मार्च 2022 के बाद शुरू की गई पवन ऊर्जा परियोजनाओं (डब्ल्यूपीपी) द्वारा उत्पादित ऊर्जा से ही पूरा किया जाएगा।*

(b) *एचपीओ (HPO) की पूर्ति केवल 8 मार्च 2019 के बाद शुरू की गयी एचपीपी (पीएसपी और लघु जल विद्युत परियोजनाओं (एसएचपी) सहित) से क्रय की गयी ऊर्जा से की जाएगी।*

(c) *अन्य आरपीओ की पूर्ति उपरोक्त (a) और (b) में उल्लिखित किसी भी आरई विद्युत परियोजना से उत्पादित ऊर्जा से नहीं की जाएगी।*

ऊपर दिया गया नवीकरणीय क्रय दायित्व का प्रतिशत गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन से क्रय की गई न्यूनतम मात्रा तथा ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोतों से उत्पादित विद्युत का, सभी स्रोतों से क्रय की गई कुल ऊर्जा/ऑब्लीगेटेड एण्टिटी द्वारा अपने उपयोग के लिए वर्ष में उत्पादित ऊर्जा का प्रतिशत दर्शाता है।

जहाँ विभिन्न ऑब्लीगेटेड एण्टिटीज के लिए कुल ऊर्जा क्रय इस प्रकार होगा–

(a) डिस्कॉम्स (Discoms), अपने उपयोग के लिए वर्ष में सभी स्रोतों से क्रय की गई कुल ऊर्जा तथा

(b) निर्बाध पहुँच वाले उपभोक्ताओं के लिए, निर्बाध पहुँच के माध्यम से की गयी कुल ऊर्जा क्रय को खपत के लिए वर्ष के दौरान आहरण/उपभोग बिन्दु पर रिकॉर्ड की गई खपत के रूप में नापा जायेगा।

(c) कैप्टिव उपयोगकर्ताओं के लिए, खरीदी गई कुल ऊर्जा को खपत के लिए वर्ष के दौरान आहरण/उपभोग बिन्दु पर रिकॉर्ड की गई खपत के रूप में दर्ज किया जाएगा।

यद्यपि, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के एचपीओ दायित्व को एचपीपी (पीएसपी और एसएचपी सहित) यदि उपभोग डिस्कॉम के भीतर किया गया हो, से राज्य को प्रदान की जा रही निःशुल्क विद्युत से पूरा किया जा सकता है, जो उस समय समझौते के अनुसार 8 मार्च 2019 के बाद कमीशन किया गया था, जिसमें एलएडीएफ के योगदान को छोड़कर, निःशुल्क विद्युत (स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए योगदान नहीं) एचपीओ लाभ के लिए पात्र होगी।

यद्यपि, उपलब्ध होने पर किसी विशेष वर्ष में 'अन्य आरपीओ' श्रेणी की पूर्ति में अभाव शेष ऊर्जा को उस वर्ष के लिए 'विण्ड आरपीओ' से परे 31 मार्च 2022 के बाद से कमीशन किए गए विण्ड पॉवर प्लांटों से उपभोग किया जा सकता है या उस वर्ष के लिए 'एचपीपी' से परे 8 मार्च 2019 के बाद कमीशन किए गए पात्र हाइड्रो पॉवर प्लांट्स (पीएससी और एसएचपी समेत) से उपभोग किया जा सकता है, या उन दोनों में अंशतः। इसके अलावा, किसी विशेष वर्ष में 'पवन आरपीओ' की उपलब्धि में किसी भी कमी को हाइड्रो पावर प्लांटों से खपत की गई अतिरिक्त ऊर्जा से पूरा किया जा सकता है, जो उस वर्ष के लिए 'एचपीओ' से अधिक है और इसके विपरीत।

(2) इस नवीकरणीय क्रय दायित्व ढाँचे के उद्देश्य से, प्रत्येक 'ऑब्लीगेटेड एण्टिटी' के लिए स्वयं के उत्पादन का अर्थ होगा, 'ऑब्लीगेटेड एण्टिटी' द्वारा अपने उपयोग के लिए या अपने कार्य–क्षेत्र के उपभोक्ताओं को आपूर्ति करने के उद्देश्य से सभी स्रोतों से क्रय की गई अथवा उपभोग की गई सकल ऊर्जा। इसमें लाइसेन्सधारकों या बाहरी उपभोक्ताओं को किसी भी तरह से की जाने वाली विद्युत की बिक्री शामिल नहीं है।

(3) *वितरण लाइसेन्सी गैर 'ऑब्लीगेटेड एण्टिटी' द्वारा रूफ टॉप या लघु सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित सकल ऊर्जा का उपयोग "अन्य आरपीओ" अधिपूर्ति के लिए कर सकेगा, जो रूफ टॉप या लघु सौर ऊर्जा संयंत्र द्वारा उत्पादित सकल ऊर्जा की मीटर रीडिंग पर आधारित होगी।*

(4) *खपत की गई कुल ऊर्जा का निम्नलिखित प्रतिशत सौर/पवन ऊर्जा के साथ/भण्डारण के माध्यम से होगाः–*

वित्तीय वर्ष	भण्डारण (ऊर्जा आधार पर)
2023-24	1.0%
2024-25	1.5%
2025-26	2.0%
2026-27	2.5%
2027-28	3.0%
2028-29	3.5%
2029-30	4.0%

(5) *ऊर्जा भण्डारण दायित्व की गणना विद्युत की कुल खपत के प्रतिशत के रूप में की जाएगी और इसे केवल तब मान्य किया जाएगा जब वार्षिक आधार पर ऊर्जा संचय प्रणाली (ईएसएस) में कुल ऊर्जा संचय का कम से कम 85% नवीन ऊर्जा स्रोत्रों से खरीदी जाए।*

(6) *आरई स्रोतों से संग्रहीत ऊर्जा की सीमा तक ऊर्जा भण्डारण दायित्व को इस विनियम के उप–विनियम (1) के अन्तर्गत उल्लिखित कुल आरपीओ की पूर्ति के एक हिस्से के रूप में माना जाएगा।*

(7) *उरेडा आरपीओ अधिबद्धता के अनुपालन से सम्बन्धित डेटा उरेडा द्वारा रखा जायेगा।"*

आयोग के आदेशानुसार,
नीरज सती,
सचिव,
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 15 हिन्दी गजट/147–भाग 1–क 2023 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।